

नैनीताल

तहसील बेतालघाट जिला मैनीगाल

1

7) राजेश कुमारी

11/11/1919

नैनीताल जिला बेतालघाट ब्रसील

[illegible]

ग्राम खतौली नकल खतौली N.Z.A. वर्ष 2014-15 फसली 2014-15 तहसील वेतालघाट जिला नैनीताल

खता संख्या	खतौली का नाम पिता का नाम व निवासी स्थान	भौतिक अभिव्यक्ति प्राप्त होने का वर्ष	प्रत्येक गाँव का खतौली संख्या	क्षेत्रफल (है.)	लगातार	परिवर्तन राश्वन्ती आवा या उसका राश्वन्ती राश्वन्ती दिनांक तद्विना आवा देने वाले अधिकारी का पद जो तदधिकार कानूननो अथवा विवाद सहित उत्तरदायीता की दशा में प्रत्येक कानूननो द्वारा प्रमाणित हो	अन्य विवरण					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			58	0.025	—	1-खतौली पर खतौली का अधिकार है।						
			64	0.070		2-खतौली पर खतौली के अधिकार हैं।						
			68	0.019		3-खतौली पर खतौली के अधिकार हैं।						
			69	0.016		4-खतौली पर खतौली के अधिकार हैं।						
			70	0.008		5-खतौली पर खतौली के अधिकार हैं।						

3-खतौली पर खतौली के अधिकार हैं।
 4-खतौली पर खतौली के अधिकार हैं।
 5-खतौली पर खतौली के अधिकार हैं।

नकल खतौनी N.Z.A. वर्ष

५।५ ०११६.५७

Reef 12th

फरवरी

तहसील बंतालघाट जिला मैनीताल

[illegible]

नकल खतौनी N.Z.A. वर्ष फसली
 ग्राम पट्टी तहसील बेतालघाट जिला मैनीताल

खारेज का नाम पिता का नाम व निवास स्थान	भौतिक अधिकारी प्राप्त होने का वर्ष	प्रत्येक गाँव का खसरा संख्या	क्षेत्रफल (इं)	तमान	परिवर्तन सम्बन्धी आवाज या उसका संतरा तथा दिनांक सहित जाफा देने वाले अधिकारी का पद जो रजिस्ट्रार कानूनमो अस्था विवाद सहित उत्तराधिकारी की दशा में पर्यटक कानूनमो द्वारा प्रभावित हो							अन्य विवरण
					फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		533	0.005	-	क 42	खसरा 484 (11/12)	खसरा 20210/2023	2434	विनाश			
		538	0.035		03-07-2024	क 34	विनाशकारी की	कच्ची	खान	नैनीताल		
		540	0.050		की	कौटिल्य	वृद्धाश्रम	हुँ	चालित	की	अन्ध	अन्ध
		543	0.014		की	अन्ध	अन्ध	अन्ध	अन्ध	अन्ध	अन्ध	
					विभाग	अन्ध	अन्ध	अन्ध	अन्ध	अन्ध	अन्ध	
					निरीक्षण	करने	हुँ	सम्बन्ध	निरीक्षण	अन्ध	अन्ध	
					आदि	अन्ध	अन्ध	अन्ध	अन्ध	अन्ध	अन्ध	
					किया	जाय	34	अन्ध	अन्ध	अन्ध	अन्ध	
					एक	अन्ध	अन्ध	अन्ध	अन्ध	अन्ध	अन्ध	
					20-11-2024	से	अन्ध	अन्ध	अन्ध	अन्ध	अन्ध	
					करने	हुँ	अन्ध	अन्ध	अन्ध	अन्ध	अन्ध	

2025 अन्ध (नैनीताल) का विभाग एक सम्बन्ध निरीक्षण किया जाय,

नकल खतौनी N.Z.A. वर्ष २०२५ फसली १५३५
पट्टी - पञ्चसिद्धि तहसील वेतालघाट जिला नैनीताल

पृ. ३८१ १०००/५१८१

तहसील वेतालमघ

जिला नैनीताल

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 15-04-2024

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6119460598
State Code.	UK
Address.	Executive Engineer P.W.D. Bhowali Nainital
Amount(In Rs)	2913275/-

Amount in Words :Twenty-Nine Lakh Thirteen Thousand Two Hundred and Seventy-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARAKHAND CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUK6119460598
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0996335

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 15-04-2024

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6119460598
State Code.	UK
Address:	Executive Engineer P.W.D. Bhowali Nainital
Amount(In Rs)	2913275/-

Amount in Words :Twenty-Nine Lakh Thirteen Thousand Two Hundred and Seventy-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARAKHAND CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAUK6119460598
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0996335

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: ubicampa@unionbankofindia.com

शपथ पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नगदल गॉव को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि विशेषज्ञ समिति होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो तो अन्तिम रूप देने से कम दिया हो तो उनका व्यय भार वहन करने को लो०नि०वि० सहमत है।



सहायक अभियन्ता
अ०ख०, लो०नि०वि०
भवाली।



अधिशाली अभियन्ता
अ०ख०, लो०नि०वि०
भवाली।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली (नैनीताल)



eepwdbhowali@rediffmail.com



	पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्ध तरीके से पूरा कराया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	
23	शर्त संख्या 23 के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्तान एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	मान्य है।
24	शर्त संख्या 24 के अनुपालन में अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड की जायेगी।	अपलोड कर दी गयी है।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
भवाली (नैनीताल)

पत्रांक 587/8C /

दिनांकित 07/05/2025

प्रतिलिपि – अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय वृत्त लो0नि0वि0 नैनीताल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
भवाली (नैनीताल)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली (नैनीताल)



eeepwdbhowali@rediffmail.com



क्र०सं०	क्षेत्रफल हे० में	CA Rate	जमा की जाने वाली धनराशि	
1	1.33	12,92,850.00	17,19,491.00	
उक्त दर का आकलन भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2011 एफ०सी० दिनांक 06/11/2022 के अनुसार की गयी है। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ - पत्र प्रस्तुत करेगा।				प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	शर्त संख्या 6 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि के पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 126 वृक्षों एवं चसपदहे से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई लागत जमा की जायेगी।			मान्य है।
7	शर्त संख्या 7 के अनुपालन में परियोजना के तहत प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त वन केवल ई-पोर्टल (http://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धक और योजना प्राधिकरण फंड में स्थान्तरित/जमा की जायेगी।			मान्य है।
8	शर्त संख्या 8 के अनुपालन में एफ०आर०ए० 2006 कर पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।			मान्य है।
9	शर्त संख्या 9 के अनुपालन में नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28/06/2022 के अनुसार पांचवे वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिये, और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए। प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।			मान्य है।
10	शर्त संख्या 10 के अनुपालन में वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधरोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।			मान्य है।
11	शर्त संख्या 11 के अनुपालन में नोडल अधिकारी State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्क पौधरोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध			मान्य है।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली (नैनीताल)



eepwdbhowali@rediffmail.com



	(ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि हस्तान्तरण एवं नामान्तरण एवं Notificatin करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ0सी0ए0 1980 की guideline के चंतं 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/ संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	प्रतिपूरक वनीकरण क्षेत्र का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण दोनों के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/ संरक्षित वन घोषित किये जाने का प्रारूप आपके स्तर से प्रेषित किया जाना है। प्रति सलग्न है।
	(ग) प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	अपलोड कर दी गयी है।
4	शर्त संख्या 4 के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगा। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	लागू नहीं है।
5	शर्त संख्या 5 के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य :- (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या -202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30/10/2002, दिनांक 01/08/2003, दिनांक 28/03/2008, दिनांक 09/05/2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998- एफ0सी0 (pt.2) दिनांक 18/09/2003, 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 03/10/2006, 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05/02/2009 एवं 5-3/2011-एफ0सी0 (Vol-1) दिनांक 06/01/2022 में जारी दिशा - निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से प्रस्ताव के तहत 1.33 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिये शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की धनराशि निम्न प्रकार जमा की जानी है -	वांछित धनराशि रू0 17,19,491.00 RTGS चालान द्वारा जमा की जा चुकी है। प्रति सलग्न है।



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग

"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून

OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND



Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail- cepwdua@gmail.com

पत्रांक:-702/63 व्यघ-सा0-मान0/16

दिनांक 14/09/2020

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या 440/111(1)/15-62 (अधि0)/2006 दिनांक 27.07.2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड रेखाकार/मानचित्रकार अधिष्ठान सेवा (लोक निर्माण विभाग) नियमावली, 2015 के भाग-3 (भर्ती का स्रोत) 5(एक) (ख) में निम्न प्राविधान है :-

ऐसे स्थाई अनुरेखकों (ट्रेसर/रेखाकार) में से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने इस रूप में अस्थाई सेवा समेत कम से कम पांच वर्ष की सेवा की हो और जो मानचित्रकार के पद के लिये विहित अपेक्षित अर्हताएं रखते हों;

परन्तु अपेक्षित संख्या में अनुरेखक प्राप्त न होने की दशा में मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थाई अमीन/मेट/बेलदार/अनुसेवक में से जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की सेवा की हो और जो मानचित्रकार के पद के लिये विहित अर्हताएं रखते हों, पदोन्नति द्वारा।

परन्तु मानचित्रकार के पद पर भर्ती इस प्रकार की जायेगी कि संवर्ग में यथास्थिति 10 प्रतिशत पद प्रोन्नत व्यक्तियों द्वारा और शेष सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।

परन्तु यह कि यदि, किसी वर्ष में मानचित्रकार के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है।

उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-1182/111(1)/19-62(अधि0)/06 दिनांक 17.09.2019 द्वारा उक्त नियमावली में वर्णित अमीन/मेट/बेलदार/अनुसेवक के साथ-साथ वर्क एजेण्ट के पदधारकों को भी मानचित्रकार के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता श्रेणी में रखा गया है।

शासनादेश संख्या 1813/111(1)/15-190(PWD)/01 दिनांक 15.12.2015 द्वारा मानचित्रकार के स्वीकृत 107 पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड रेखाकार/मानचित्रकार अधिष्ठान सेवा (लोक निर्माण विभाग) नियमावली, 2015 के भाग-3 (भर्ती का स्रोत) 5(एक) (ख) एवं शासनादेश संख्या-1182/111(1)/19-62(अधि0)/06 दिनांक 17.09.2019 में निहित व्यवस्थानुसार 10 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत मानचित्रकार के पद पर पदोन्नति हेतु 11 पद बनते हैं, जिसका रिक्त पदों के सापेक्ष अनुरेखक के पद पर पात्र कार्मिक उपलब्ध न होने की दशा में पृथक-पृथक अनुपात निम्नवत् निर्धारित किया जाता है:-

क्र० सं०	पदनाम	स्वीकृत पद	स्वीकृत पदों का सन्दर्भ	कोटा जिसका प्राविधान किया गया है।	कोटे के पश्चात् पदोन्नति हेतु निर्धारित पद
1	अमीन	145	शासनादेश संख्या 1813/111(1)/15-190 (PWD)/01 दिनांक 15.12.2015	$\frac{145 \times 11}{6127} = 0.26$	शून्य पद
2	मेट	944	शासनादेश संख्या- 834/111(1)/06-190 (पी0डब्ल्यू0डी0)/2001 टी0सी0-2 दिनांक 06.10.2006	$\frac{944 \times 11}{6127} = 1.69$	दो पद
3	बेलदार	3960	—तदैव—	$\frac{3960 \times 11}{6127} = 7.10$	सात पद
4	अनुसेवक	286	—तदैव—	$\frac{286 \times 11}{6127} = 0.51$	एक पद
5	वर्क एजेण्ट	792	—तदैव—	$\frac{792 \times 11}{6127} = 1.42$	एक पद
पदों का योग		6127			

हस्ताक्षर
(हरिओम शर्मा)

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

कमश: पृष्ठ-2 प

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली (नैनीताल)



eeepwdbhowali@rediffmail.com



पत्रांक 587 /8C

दिनांक 07/05/2025

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग नैनीताल।
नैनीताल।

विषय :- जनपद नैनीताल में मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना के अन्तर्गत नगदलगांव को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.33 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव संख्या FP/UK/Road/19460/2016

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक 3025/12-1 दिनांक 29/11/2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में सन्दर्भित पत्र के माध्यम से सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है, जिसमें सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का निम्न प्रकार से अनुपालन किया जा रहा है।

क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण	
1	शर्त संख्या 1 के अनुपालन में वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	मान्य है।	
	शर्त संख्या 2 के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	मान्य है।	
3	शर्त संख्या 3 के अनुपालन में प्रतिपूरक बनीकरण :- (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.66 हे० सिविल सोयम भूमि ग्राम काण्ड खसरा सं० 2307 में प्रतिपूरक बनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाये तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिये। इस शर्त हेतु निम्न धनराशि जमा की जानी आवश्यक है -	वांछित धनराशि रू० 11,93,784.00 RTGS चालान द्वारा जमा कर दी गयी है। प्रति सलग्न है।	
क्र०सं०	क्षेत्रफल हे० में	CA Rate	जमा की जाने वाली धनराशि
1	2.66	4,48,791.00	11,93,784.00